डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2001—भाद्र 21, शक 1923

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 814/डी. 15/मण्डी/74/2001/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य की समस्त मण्डी क्षेत्रों में विक्रय हेतु लाई गई या क्रय की गई या लाई गई या विक्रय की गई कृषि उपज लाख पर मण्डी शुल्क के भुगतान से दिनांक 1 सितंबर, 2001 से दिनांक 31 अगस्त 2002, तक की कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है :—

"जब छत्तीसगढ़ में अवस्थित किसी लघु उद्योग या ग्रामोद्योग द्वारा क्रय किया जाता है और उद्योग या ग्रामोद्योग विभाग से, यथास्थिति, लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो संबंधित मण्डी में उसे प्रस्तुत किया जाए."

Raipur, the 12th September 2001

NOTIFICATION

No. 814/D.15/M./74/2001/14-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby exempt the payment of

full market fees for the period from the first day of September, year 2001 to 31st day of August, year 2002 on the sale, or purchase or brought or sold of Lac, agriculture produce in all Mandi areas in the State subject to the following condition :—

When the purchase in made by any Small Scale Industry or Village Industry located in Chhattisgarh a Registration Certificate as Small Scale Industry unit or Village Industry unit from the Industry or Village Industry Department, as the case may be is to be produced in the concerning Mandi.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.